कार्यालय कलेक्टर(महिला एवंबालविकास शाखा) कोरबा छत्तीसगढ़
निविदा शर्ते

कार्यालयीन निविदा सूचना क्रमांक/922/मबावि/लेखा/2013–14 कोरबा दिनांक 31.07.2013 के अनुक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा के अन्तर्गत 10 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 2265 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए ''प्री–स्कूल किट'' आपूर्ति करने हेतु उत्पादनकर्ता/आपूर्तिकर्ता इच्छुक फर्म से निविदा लिफाफों में दिनांक 02.09.2013 अपरान्ह 3.00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रकोष्ठ–कोरबा के स्थित कार्यालय में आमंत्रित है । निविदा शर्ते निम्नानुसार है :–

1 ''प्री स्कूल किट'' क्रय हेतु परियोजनावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	एकी.बा.वि.परि.	आं.बा. केन्द्र संख्या
1	कोरबा(श.)	223
2	कोरबा(ग्रा.)	315
3	करतला	195
4	कटघोरा	274
5	पाली	348
6	पोड़ीउपरोड़ा	266
7	पसान	185
8	हरदीबाजार	170
9	बरपाली	167
10	चोटिया	122
योगः–		2265

2. क्रयादेश जारी करने की तिथि को संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्यानुसार उपरोक्त दर्शित संख्या में कमी किया जा सकता है ।

3. प्री–स्कूल किट में निहित सामग्रियों की सूची उल्लेखित है। निविदादाता को इन्हीं सामग्रियों का पृथक–पृथक दर अंकित करते हुए कुल दर लेख कर निविदा प्रस्तुत करना होगा। विभागीय बंटन सीमा अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए रू. 1000/–रूपये प्रति किट निर्धारित है ।

4. निविदादाता को दो बंद लिफाफा (अ एवं ब) में निविदा प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा ''अ'' में अमानत राशि, छ.ग. राज्य के किसी भी जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से पंजीयन प्रमाण–पत्र व सक्षमता प्रमाण–पत्र, वाणिज्यीक कर विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र (टीन नम्बर) तथा प्री–स्कूल किट में उल्लेखित सामग्रियों के उत्पादनकर्ता/अधिकृत विक्रेता का प्रमाण–पत्र आयकर एवं वाणिज्यिक कर विभाग से ''चुकता प्रमाण पत्र'' का अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा । सेम्पल किट रहित प्राप्त निविदाएँ नहीं खोली जायेगी । निविदा लिफाफा ''अ'' पहले खोला जायेगा, जिसमें निहित शर्तो को पूर्ण करने एवं वैध पाये जाने पर ही लिफाफा ''ब'' खोला जायेगा ।

5. निविदादाता को निविदा लिफाफा के साथ सेम्पल किट प्रस्तुत करना होगा, जो क्रय समिति के अवलोकन पश्चात वापसी योग्य होगा, किन्तु जिन निविदादाता का निविदा स्वीकृत होगा, उनका सेम्पल सामग्री के भुगतान तिथि से आगामी छः माह तक कार्यालय में रखा जायेगा।

6. सभी **''कर''** सम्मिलित करके निविदा दर प्रस्तुत करना होगा, निविदा में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा ।

7. निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 02 सितम्बर 2013 अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत किया जा सकता है । उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे निविदा लिफाफे जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वयं/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

क्रमशः – 2 –

8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में तत्काल 50/– के स्टाम्प पर सामग्री आपूर्ति करने बावत् सहमति पत्र/अनुबंध संपादित करना होगा तथा सामग्री की आपूर्ति क्रयादेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर क्रयादेश में निर्धारित किए गए स्थल तक पहुंचाकर देना होगा। निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं करने पर भुगतान राशि में आनुपातिक कटौती की जायेगी अथवा क्रयादेश निरस्त किया जा कर अमानत राशि छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में राजसात किया जा सकेगा ।

9. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदायित सामग्रियों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति के द्वारा किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सेम्पल से आपूर्ति हुए सामग्री का मिलान नहीं होने पर नियमानुसार कटौती की जायेगी या निरस्त किया जायेगा ।

10. एक निविदादाता का एक ही निविदा स्वीकार किया जायेगा ।

11. निविदादाता को अमानत राशि के रूप में राशि रू. 70000/–(सत्तर हजार रूपये मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी बी.सी./डी.डी., जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रकोष्ठ–कोरबा के पक्ष में जारी हुआ हो, प्रस्तुत करना होगा ।

12. आपूर्ति होने पर सामग्री के कमी, क्षति या हानि के लिए कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

13. निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्ति की गई सामग्री का निर्धारित संस्था से बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त(नान टॉक्सिक) है का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. निविदादाता को सामग्री के साथ दो प्रतियों में देयक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला प्रकोष्ठ–कोरबा को प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान आबंटन उपलबधता के आधार पर किया जायेगा ।

15. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि निविदादाता को निविदा की सभी शर्ते मान्य व स्वीकार्य है ।

16. प्रपत्र ''ब'' उल्लेखित प्रत्येक सामाग्री दर पृथक पृथक देना अनिवार्य होगा एवं समस्त सामग्री का दर योंग राशि 1000.00 शब्दों मे एक हजार से अधिक नही होगी ।

17 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सामग्री की मात्रा का निर्धारण जिला स्तरीय कय समिति द्वारा किया जावेगा

18. निविदादाता द्वारा ऐसे सेम्पल प्रस्तुत किया जावे जो 03 वर्ष से 06वर्ष के बच्चो के लिये उपयोगी हों

19. चयनित निविदाता द्वारा सर्व प्रथम जिले में सामग्री प्रस्तुत करेंगे । भौतिक सत्यापन पश्चात् जिले के 10 बाल विकास परियोजनाओं में सामग्री स्वयं के व्यय पर भेजना होगा ।

20. निविदाताओं को शासन के वाणिज्यकर विभाग से जीवित पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं पिछले वर्ष का कर समासोधन पत्रक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

21. निविंदा में दर्शित सामाग्री का (नान टॉक्सिक) होने संबंधी प्रमाण पत्र भारत शासन या छ.ग. शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जारी हो, का संलग्न करना अनिवार्य है ।

22. इस निविंदा में छ.ग. शासन द्वारा जारी सत्यनिष्ठा संधि लागू होंगी ।

23. विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरबा का निर्णय अंतिम व सभी पक्षों का मान्य होगा ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला प्रकोष्ठ–कोरबा(छ.ग.)

(क्रय समिति द्वारा अनुमोदित)